

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 488 / 15

संस्थापन दिनांक:-21 / 08 / 15

फाईलिंग नं. 233504002842015

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

हीरालाल पिता गुलाबराव चौकीकर
 उम्र 40 वर्ष, निवासी ऐनस,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 28.08.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 06.08.2015 को समय 06:00 बजे मेघनाथ चौक ऐनस थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी रामरती पवार और अन्य को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी रामरती ने ग्राम ऐनस में शराब बंदी के लिए नशा मुक्ति समिति बनायी है और वह समिति की अध्यक्ष है। अभियुक्त हीरालाल अवैध रूप से शराब बेचता है जिसकी उसने समिति के माध्यम से शिकायत की थी। इसी बात पर से दिनांक 06.08.2015 को शाम करीब 6 बजे जब वह उसके घर के सामने खड़ी थी तब अभियुक्त ने आकर उसे मादरचोद छिनाल की गाली दी। जब उसने दिनेश कोटवार, रत्नमाला, मीरा, संगीता, ममता को बुलाया तो अभियुक्त ने उनके सामने भी गंदी गंदी गालियां दी जो उन्हें सुनने में बुरी लगी थी। अभियुक्त ने थाने में रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 426/15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थिति हेतु सूचना पत्र जारी किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये

अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे फरियादी एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या अभियुक्त ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
5. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 04 का निराकरण

5 रामरती (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना दिनांक 06.08.2015 की शाम 6 बजे मेघनाथ चौक ऐनस की है। घटना के समय वह घर के सामने खड़ी थी तभी अभियुक्त ने आकर उसे दारी चम्हारन की गाली दी थी। संगीता (अ.सा.-2), मीराबाई (अ.सा.-3) एवं रत्नमाला (अ.सा.-5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी रामरती को गंदी गंदी गाली दी थी। इस संबंध में साक्षी ममता (अ.सा.-4) ने व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने मां बहन चोद की गाली दी थी।

6 शिव बहादुर सिंह सेंगर (अ.सा.-6) ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में दिनांक 07.08.2015 को थाना आमला में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को फरियादी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध गाली गलौच एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने की रिपोर्ट लेखबद्ध कराये जाने पर उसने अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-1) लेखबद्ध की जाना एवं दिनांक 08.08.2015 को घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-2) तैयार किया जाना बताया है। साक्षी ने उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है।

7 रामरती (अ.सा.-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त उसे दारी, चम्हारन घर के बाहर निकल जा, रोज-रोज थाने में जाती है

क्या शिकायत करने जाती है, समिति क्यों जाती है दैरियों को चड़ड़ी छोड़ छोड़ के, नंगी करके मारुंगा कह रहा था। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में ऐसा नहीं बताया था कि आरोपी ने उसे बोला कि मादरचोद छिनाल औरतों को लेकर थाने गयी थी।

8 संगीता (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त द्वारा फरियादी रामरती को अश्लील शब्द उच्चारित किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। मीराबाई (अ.सा.-3) एवं ममता (अ.सा.-4) ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त ने फरियादी के साथ कोई गाली गलौच नहीं की थी। रत्नमाला (अ.सा.-5) ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त ने उसके साथ कोई गाली गलौच नहीं की थी। स्वतः में साक्षी ने बताया है कि अभियुक्त ने उसके साथ एवं और सभी लोगों के साथ गाली गलौच की थी।

9 विधि में अश्लीलता की जो परिसंकल्पना धारा 294 द्वारा की गयी है उसका अभिप्राय ऐसे शब्दों से है जो शब्द सुनने वाले व्यक्ति के उपर प्रतिकूल प्रभाव डाले, उसे दूषित अवन्नति की ओर ले जायें, उसमें कामुकता यौन मनोव्यय को पैदा करे लेकिन फरियादी द्वारा बताये गये शब्द इस स्वरूप के नहीं हैं। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **सोबरन विरुद्ध म.प्र. राज्य 1967 जे.एल.जे. शार्ट नो. 135, विष्णु प्रसाद विरुद्ध म.प्र. राज्य 1971 जे.एल.जे. शार्ट नो. 148** अवलोकनीय है। इस प्रकार उपर्युक्त न्याय दृष्टांत एवं उनमें प्रतिपादित सिद्धांत तथा साक्ष्य के विश्लेषण से यह तथ्य सिद्ध नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा दी गयी गालियों से किसी व्यक्ति को क्षोभ या संत्रास कारित हुआ हो।

10 रामरती (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि अभियुक्त ने उसे जान से खत्म करने की धमकी दी थी। संगीता (अ.सा.-2), मीराबाई (अ.सा.-3) रत्नमाला (अ.सा.-5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने जान से खत्म करने की धमकी दी थी। अभियुक्त द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्त का उसके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो।

11 जान से मारने की धमकी ऐसी होनी चाहिए जिससे फरियादी के मन में यह भय पैदा हो जाये कि ऐसी धमकी का क्रियान्वयन भी किया जा सकता है। आपराधिक अभिप्रास गठित करने के लिए धमकी वास्तविक होना चाहिए तथा संत्रास कारित करने का आशय होना चाहिए। यदि ऐसी धमकी देने का आशय उसे कार्यरूप में परिणित करने का न हो और फरियादी भयभीत न हुआ हो तो अपराध गठित नहीं होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **लक्ष्मण विरुद्ध म.प्र. राज्य 1989 जे.एल.जे. 653** अवलोकनीय है।

12 अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक 06.08.2015 की शाम 06:00 बजे की है तथा घटना की रिपोर्ट दिनांक 07.08.2015 को शाम के लगभग 04:00 बजे की गयी है। घटना स्थल से थाने की दूरी मात्र 20 किलोमीटर है। फरियादी

रामरती (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में अतिशयोक्तिपूर्ण कथन किये हैं तथा अभियोजन के अनुरूप भी न्यायालय में कथन नहीं किये हैं। प्रकरण में अन्य अभियोजन साक्षी संगीता (अ.सा.-2) ने घटना का समय सुबह 10 बजे का मीराबाई (अ.सा.-3) एवं ममता (अ.सा.-4) ने शाम 4-5 बजे की घटना बतायी है। रत्नमाला (अ.सा.-5) ने यह बताया है कि अभियुक्त ने रामरती को और समिति की अन्य महिलाओं को गाली दी थी। जबकि स्वयं फरियादी रामरती ने स्वयं अपने कथनों में ऐसा नहीं बताया है। घटना के समय को लेकर भी साक्षीगण के कथनों में विरोधाभास है। अभियोजन कथा अनुसार फरियादी रामरती को अभियुक्त द्वारा गाली गलौच किये जाने पर उसके द्वारा रत्नमाला, मीरा, संगीता एवं ममता को बुलाया गया। जबकि संगीता (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि वह फरियादी रामरती के साथ मेघनाथ चौक पर बैठी थी। मीरा (अ.सा.-3) ने यह बताया है कि वह भी रामरती बाई के साथ सड़क पर खड़ी थी। ममता (अ.सा.-4) ने बताया है कि वह आवाज सुनकर पहुंची थी। रत्नमाला (अ.सा.-5) ने बताया है कि समिति की सभी महिलाएँ मौके पर खड़ी थी। इस प्रकार सभी अभियोजन साक्षीगण के कथनों में विरोधाभास है। प्रथम सूचना रिपोर्ट फरियादी के द्वारा दूसरे दिन शाम लगभग 4 बजे लेख करायी गयी है। उपर्युक्त परिस्थितियां अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न करती हैं जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 05 का निराकरण

13 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी रामरती पवार और अन्य को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त हीरालाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 294 एवं 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

14 अभियुक्त के जमानत मुचलके 437-ए दं.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

15 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

